भारत के राजपत्र, आसाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं.28/2019-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 28 जून, 2019

सा.का.नि.(अ).- आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की (1) उपधारा, के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा, जिनका पूर्ववर्ती वितीय वर्ष या चालू वितीय वर्ष में संकलित आवर्त 1.5 करोड़ रुपयों से अधिक है, जुलाई 2019 से सितंबर, 2019 तक प्रत्येक मास के लिए उस मास के उत्तरवर्ती मास के 11वें दिन तक केन्द्रीय माल और अधिनियम 2017, के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदायों के ब्यौरे देने की समय सीमा को विस्तारित करते हैं ।

2. उक्त अधिनियम की धारा के अधीन जुलाई (1) की उपधारा 39 और धारा (2) की उपधारा 38, जुलाई, 2019 से सितंबर, 2019 मास के लिए यथास्थिति, ब्यौरे या विवरणी देने के लिए समय सीमा को तत्पश्चात् राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

[फा.सं.20/06/16/2018-जीएसटी]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार